

**#THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT
EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 1989**

(Act No. 19 of 1992)

[Received the assent of the President on the 4th day of June, 1992]

*राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989

(1992 का अधिनियम संख्या 19)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 जून, 1992 को प्राप्त हुई)

An Act to provide for better organisation and development of education in the Non-Government educational institutions in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:-

राजस्थान राज्य में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

CHAPTER-I

अध्याय-1

Preliminary

प्रारम्भिक

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act and any reference

#. Published in Rajasthan Gazette Extraordinary Part 4 (Ka) dated 4.7.1992 and w.e.f. 1.1.1993 by Notification No. F. 7(73) Edu/Gr.6/74 dated 15.12.1992, published in Raj. Gazette Extraordinary Part 1(Kh) dated 18.12.1992, Page 293.

*. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 4.7.1992 में प्रकाशित हुआ और अधिसूचना संख्या एफ. 7(73) शिक्षा/गृप 6/74 दिनांक 15.12.1992 द्वारा 1.1.1993 से प्रभावी, राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) दिनांक 18.12.1992 को पृष्ठ 293 पर प्रकाशित।

to the commencement of this Act in relation to any provision thereof shall be construed as a reference to the date on which that provision comes into force.

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा उसके किसी भी उपबन्ध के संबंध में उसके प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा जिसको वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है।

2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "aid" means any aid granted to a recognised educational institution by the State Government;
- (b) "aided institution" means a recognised institution which is receiving aid in the form of maintenance grant from the State Government;
- (c) "Board" means the Board of Secondary Education, Rajasthan or the Central Board of Secondary Education, Delhi and shall include the Council for the Indian School Certificate Examinations;
- (d) "compensatory allowance" means an allowance granted to meet personal expenditure necessitated by the special circumstances in which duty is performed and shall include a travelling allowance but shall not include a sumptuary allowance nor the grant of a free passage to or from any place outside India;
- (e) "Competent Authority" means any officer or authority authorised by the State Government, by notification, to perform the functions of the competent authority under this Act for such area or in relation to such class of recognised Non-Government educational institutions as may be specified in the notification.

(f) "Director of Education" means,-

- (i) in relation to degree and post-graduate colleges and educational institutions of equal or higher studies other than institutions of Sanskrit and technical education, the Director of College Education, Rajasthan;
- (ii) in relation to the institutions of Sanskrit education, the Director of Sanskrit Education, Rajasthan;
- (iii) in relation to the institutions of technical education, the Director of Technical Education, Rajasthan;
- (iv) in relation to schools and institutions other than those referred to in sub-clauses (i), (ii) and (iii) the Director of Primary and Secondary Education, Rajasthan;

Explanation- The Director of Education shall include any other officer authorised by him to perform all or any of the functions of the Director of Education under this Act;

- (g) "District Education Officer" includes, in relation to girls institutions, the District Education Officer (Girls) and also any other officer authorised by the State Government to perform the functions of such an officer;
- (h) "Educational Society" or "educational agency" means any trust, person or body of persons permitted to establish or maintain a recognised non-Government educational institution;
- (i) "employee" includes a teacher and every other employee working in a recognised institution;
- (j) "existing institution" means any recognised institution established before the commencement of this Act and continuing as such at such commencement;
- (k) "Head of an institution" means the Principal Academic Officer, by whatever name called, of an institution;
- (l) "institution" includes all movable and immovable properties pertaining to an educational institution;
- (m) "Joint Director" or "Deputy Director" includes an officer authorised by the State Government to perform the functions of a Joint Director or Deputy Director;

- (n) **“Maintenance grant”** means such recurring grant-in-aid to an institution as the State Government may, by general or special order, direct to be treated as such grant;
- (o) **“management”** or **“managing committee”**, in relation to any institution, means the committee of management constituted under section 9 and includes the Secretary or any other person, by whatever name designated, vested with the authority to manage and conduct the affairs of the institution;
- (p) **“non-Government educational institution”** means any college, school, training institute or any other institution, by whatever name designated, established and run with the object of imparting education or preparing or training students for obtaining any certificate, degree, diploma or any academic distinction recognised by the State or Central Government or functioning for the educational, cultural or physical development of the people in the State and which is neither owned nor managed by the State or Central Government or by any University or local authority or other authority owned or controlled by the State or Central Government;
- (q) **“recognised institution”** means a non-Government educational institution affiliated to any University or recognised by the Board, Director of Education or any officer authorised by the State Government or the Director of Education in this behalf;
- (r) **“salary”** means the aggregate of the emoluments of an employee including dearness allowance or any other allowance or relief for the time being payable to him but does not include compensatory allowance;
- (s) **“sanctioning authority”** means an officer authorised by the State Government to sanction aid to such recognised educational institutions as the State Government may specify from time to time in accordance with the procedure to be prescribed;
- (t) **“State Government”** means the Government of the State of Rajasthan;

- (u) **“teacher”** means a Professor, Reader or Lecturer and any other person, by whatever name designated, imparting instruction or training or conducting and guiding a research or training programme in a non-Government educational institution and includes the Head of the institution; and
- (v) **“University”** means a University established by law in the State of Rajasthan.
2. परिभाषाएं.— जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—
- (क) **“सहायता”** से राज्य सरकार द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था को दी गयी कोई भी सहायता अभिप्रेत है;
- (ख) **“सहायता प्राप्त संस्था”** से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है;
- (ग) **“बोर्ड”** से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली अभिप्रेत है और इनमें काउन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स सम्मिलित है;
- (घ) **“प्रतिकरात्मक भत्ता”** से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिये दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्तव्यपालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर के किसी भी स्थान तक या से निःशुल्क यात्रा-अनुदान सम्मिलित नहीं होगा;
- (ङ) **“सक्षम प्राधिकारी”** से राज्य सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (च) **“शिक्षा निदेशक”** से अभिप्रेत है,—
- स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न हैं, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;
 - संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान;
 - तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान;
 - विद्यालयों और उप-खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट से भिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान;

स्पष्टीकरण— शिक्षा निदेशक में, इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशक के सभी या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा;

- (छ) "जिला शिक्षा अधिकारी" में बालिका संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) और ऐसे किसी भी अधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;
- (ज) "शैक्षिक सोसायटी" या "शैक्षिक एजेन्सी" से किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;
- (झ) "कर्मचारी" में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है;
- (ञ) "विद्यमान संस्था" से इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारम्भ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है;
- (ट) "संस्था का प्रधान" से किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ठ) "संस्था" में किसी शैक्षिक संस्था से सम्बन्धित सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां सम्मिलित हैं;
- (ड) "संयुक्त निदेशक" या "उप-निदेशक" में किसी संयुक्त निदेशक या किसी उप-निदेशक के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है;
- (ढ) "अनुक्षण अनुदान" से किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता अनुदान अभिप्रेत है जिसके ऐसे अनुदान के रूप में माने जाने का निदेश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे;
- (ण) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्ध" या "प्रबन्ध समिति" से धारा 9 के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें सचिव या किसी भी नाम से पदाभिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें संस्था के कामकाज का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित किया गया है;
- (त) "गैर सरकारी शैक्षिक संस्था" से ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्था या किसी भी नाम से अभिहित कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित की गयी और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या

शारीरिक विकास के लिये कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रबन्धित;

- (थ) "मान्यता प्राप्त संस्था" से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;
- (द) "वेतन" से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं जिनमें उसे तत्समय संदेय महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है किन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है;
- (ध) "मंजूरी प्राधिकारी" से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सहायता मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (न) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (प) "अध्यापक" से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है; और
- (फ) "विश्वविद्यालय" से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

CHAPTER-II

अध्याय-2

Recognition, its refusal and withdrawal

मान्यता, उसका इंकार किया जाना और वापस लिया जाना

3. Recognition of institutions - (1) Except in the case of institution affiliated to a University or recognised or to be recognised by the Board, the Competent Authority may, on an application made to it in the prescribed form and manner, recognise a non-Government educational institution on fulfilment of such terms and conditions as may be prescribed:

¹[Provided that no institution shall be recognized unless it has been registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958), or it is being run by a public trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Act No. 42 of 1959) or by a trust created in accordance with the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 (Central Act No. 2 of 1882).]

1. Substituted by Act No. 20 of 2003 (w.e.f. 7.6.2003).

(2) Every application for recognition of an institution shall be entertained and considered by the Competent Authority and the decision thereon shall be communicated to the applicant within a period of six months from the date of the receipt of the application and, where recognition is refused, the reasons therefor shall also be communicated to the applicant within the said period.

3. **संस्थाओं की मान्यता.**— (1) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य या मान्य की जाने वाली संस्थाओं के मामले को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी विहित प्ररूप और रीति से उसे किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निबन्धन और शर्तों, जो विहित की जाएँ, पूरी करने पर, किसी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को मान्यता दे सकेगा:

[परन्तु किसी भी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, या वह राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा न चलायी जाती हो।]

(2) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की संसूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर दी जायेगी और जहां मान्यता देने से इंकार किया जाये वहां आवेदक को उक्त कालावधि के भीतर-भीतर उसके कारण भी संसूचित किये जायेंगे।

4. **Appeal against refusal of recognition** - (1) Where recognition to an institution is refused, any person aggrieved by such refusal may, within thirty days from the date of communication to him of such refusal, prefer an appeal against such refusal in the prescribed manner to such authority as may be prescribed.

(2) On hearing an appeal preferred under sub-section (1), the said authority may, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the order appealed against and his decision thereon shall be final.

4. **मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपील.**— (1) जहां किसी संस्था को मान्यता से इंकार किया जाये वहां ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध

1. 2003 का अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित (7.6.2003 से प्रभावी)।

अपील की गयी है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

5. **Withdrawal of recognition** - Where the management of an institution obtains recognition by fraud, misrepresentation or suppression of material particulars, or where, after obtaining recognition, an institution fails to comply with any of the terms and conditions prescribed under sub-section (1) of section 3, the Competent Authority granting the recognition may, after giving such management a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, withdraw the recognition.

5. **मान्यता का वापस लिया जाना.**— जहां किसी संस्था का प्रबन्ध व कपट या दुर्व्यपदेशन से या तात्त्विक विशिष्टियों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विहित किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तों का पालना करने में विफल रहती है वहां मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रबन्ध को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकेगा।

6. **Appeal against withdrawal of recognition** - (1) Where recognition to an institution is withdrawn, any person aggrieved by such withdrawal may, within thirty days from the date of communication to him of such withdrawal, prefer an appeal against such withdrawal, in the prescribed manner, to such authority as may be prescribed.

(2) On hearing an appeal preferred under sub-section (1), the said authority may, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the order appealed against and his decision thereon shall be final.

6. **मान्यता के वापस लिये जाने के विरुद्ध अपील.**— (1) जहां किसी संस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहां ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी वापसी की उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उसे पलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

CHAPTER-III**अध्याय-3****Aid, Accounts and Audit****सहायता, लेखे और संपरीक्षा**

7. Grant of aid to recognised institutions - (1) No aid shall be claimed by an institution as a matter of right.

(2) Unrecognised institutions shall not be eligible to receive any aid.

(3) Subject to such terms and conditions as may be prescribed, the sanctioning authority may sanction and distribute aid to recognised institutions from time to time in accordance with the procedure as may be prescribed.

(4) The aid may cover such part of the expenditure of the institution as may be prescribed.

(5) No amount out of aid given for salary of the employees of an institution shall be used for any other purpose.

(6) The sanctioning authority may stop, reduce or suspend aid on breach of any of the terms and conditions prescribed in this behalf.

(7) The amount of aid may normally be paid to the secretary of the managing committee of an institution but, in special circumstances and for reasons to be recorded in writing, such amount may be paid to any person authorised by the Director of Education or by any other officer empowered by him in this behalf.

7. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान. — (1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जावेगा।

(2) अमान्य संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

(3) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, मंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय-समय पर सहायता मंजूर और वितरित कर सकेगा।

(4) सहायता के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाये।

(5) किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गयी सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त विहित किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तों का भंग होने पर सहायता को बन्द, कम या निलम्बित कर सकेगा।

(7) सहायता की रकम सामान्यतः किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को संदत्त की जा सकेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।

8. Accounts and audit - (1) Every aided institution shall keep accounts in such manner and containing such particulars as may be prescribed.

(2) The accounts of every aided institution shall be audited at the end of every academic year in the manner as may be prescribed.

(3) The Secretary of the Managing Committee shall, within six months of the end of the academic year, submit to the Competent Authority the audit report.

8. लेखे और संपरीक्षा. — (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के लेखों की संपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जायें।

(3) प्रबन्ध समिति का सचिव शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

CHAPTER - IV**अध्याय-4****Managing Committee****प्रबन्ध समिति**

9. Constitution of a managing committee - (1) There shall be constituted a managing committee for every recognised institution.

(2) The managing committee of every recognised institution shall elect a Secretary from amongst its members. An employee of the institution shall neither be the Secretary nor the treasurer.

(3) The Secretary will perform such functions and exercise such rights as may be prescribed.

9. प्रबन्ध समिति का गठन. — (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिव निर्वाचित करेगी। संस्था का कोई भी कर्मचारी न तो सचिव होगा, न ही कोषपाल।

(3) सचिव ऐसे कृत्यों का निर्वहण और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जायें।

10. Powers of the State Government to take over management -

(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, whenever it appears to the State Government that the managing committee of any recognised institution has neglected to perform any of the duties assigned to it by or under this Act or the rules made thereunder or has failed to manage the institution properly and that it has become necessary in the public interest to take over the management of such institution, it may, after giving to such managing committee a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, take over such management and appoint an administrator to exercise control over the assets of the institution and to run the institution for such period as the State Government may from time to time fix.

(2) Where, before the expiry of the period fixed under sub-section (1), the State Government is of opinion that it is not necessary to continue the management of the institution by an administrator, such management shall be restored to the managing committee.

^{1, 2} 10. राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति. — (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित किन्हीं भी कर्तव्यों के निर्वहण में उपेक्षा की है या वह संस्था का समुचित रूप से प्रबन्ध करने में विफल रही है और यह कि ऐसी संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रबन्ध को ग्रहण कर लेगी और ऐसी कालावधि के लिये जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, संस्था की आस्तियों पर नियन्त्रण रखने तथा संस्था को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

(2) जहाँ, उप-धारा (1) के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का प्रबन्ध प्रशासक के द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है वहाँ ऐसा प्रबन्ध-प्रबन्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

1. आदेश क्रमांक प. 19 (9) शिक्षा-5/93, दिनांक 11.8.2000- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाय एवं जिन भी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया, उन संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में (आदेश संख्या 103)।
2. आदेश क्रमांक प. 19 (9) शिक्षा-5/93, दिनांक 15.9.2001- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के संबंध में नीति (आदेश संख्या-126)।

CHAPTER-V

अध्याय-5

Properties, Transfer and Closure

सम्पत्तियाँ, अंतरण और बंद किया जाना

11. Administration and management of properties of institution - The Secretary of the managing committee or any person duly authorised by the managing committee in this behalf by a resolution shall, on behalf of the managing committee, manage and administer the properties and of a recognised institution.

11. संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबन्ध. — प्रबन्ध समिति का सचिव या इस निमित्त प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संकल्प द्वारा सम्यक् रूप से प्रभावित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी मान्यता प्राप्त संस्था की सम्पत्तियों और आस्तियों का प्रबन्ध और प्रशासन करेगा।

12. Annual statement of properties - On or before the 1st day of May each year, the secretary of the Managing committee of an aided institution shall furnish to such officer, as may be authorised by the Director of Education in this behalf, a statement containing a list of all immovable properties belonging to, or possessed by, such institution or in which it has any other interest, with such particulars as may be prescribed.

12. सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण. — प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम दिन या उसके पूर्व किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसी संस्था से सम्बन्धित या उसके कब्जे में की या ऐसी जिनमें उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पत्तियों की एक सूची ऐसी विशिष्टियों सहित, जो कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

13. Prior approval for transfer of management - (1) Whenever the management of any recognised institution is proposed to be transferred, the secretary and the person to whom the management is proposed to be transferred shall, before such transfer, apply jointly to the Competent Authority for prior approval of the transfer.

(2) An application under sub-section (1) shall be made in such form and shall contain such particulars as may be prescribed.

(3) The Competent Authority may, on receipt of the application under sub-section (1) and after making such enquiry as it thinks fit, approve the proposed transfer subject to such conditions as it may impose or may refuse to approve such transfer :

Provided that approval shall not be refused unless the applicants have been given an opportunity of being heard and the reasons for such refusal are recorded :

Provided further that where the application is not disposed off within six months from the date of its making, such approval shall be deemed to have been granted.

13. प्रबन्ध के अन्तरण का पूर्व अनुमोदन.— (1) जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति, जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, अन्तरण के अनुमोदन के लिए, ऐसे अन्तरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् प्रस्तावित अन्तरण का, ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी कि वह अधिरोपित करे, अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे अन्तरण का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु अनुमोदन से तब तक इंकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदकों को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे इंकार के कारण अभिलिखित न कर दिये गये हों:

परन्तु यह और कि जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

14. Closure of recognised institutions - (1) No recognised institution or its class or the teaching of any subject therein shall be closed without a notice in writing to the Competent Authority. It shall have to be shown that adequate arrangements have been made for the continuance of teaching of the students for the entire remaining period of study for which the students had been admitted or for the refund of the remaining fees, if any, paid by the students.

(2) The period of notice under sub-section (1) shall be such as may be prescribed and different periods of notice may be prescribed for

different classes of institutions having regard to the period of each course of study.

14. मान्यता प्राप्त संस्था का बंद किया जाना.— (1) कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उस अवशिष्ट सम्पूर्ण कालावधि में, जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के द्वारा संदत्त फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हों, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की कालावधि इतनी होगी जितनी विहित की जाये और प्रत्येक पाठ्यक्रम की कालावधि को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं की भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए नोटिस को भिन्न-भिन्न कालावधियां विहित की जा सकेंगी।

15. Prior approval for transfer - (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no transfer by way of sale, mortgage, charge or otherwise of any right or interest in or possession of any immovable property of an aided institution shall be made except after making an application in the prescribed manner to the Director of Education or an officer authorised by him in this behalf and obtaining prior approval in writing :

Provided that where the application is not disposed off within six months from the date of its making, such approval shall be deemed to have been granted.

(2) Any transfer made in contravention of sub-section (1) shall be void.

(3) If the Secretary of the Managing Committee of an aided institution commits default in furnishing the statement under section 12 or furnishes a statement which is false or incorrect in any material particular or acts in contravention of sub-section (1), the sanctioning authority may, after giving an opportunity of showing cause, withhold, stop or suspend aid to such institution.

(4) In the event of an aided institution being closed or discontinued or its recognition being withdrawn, the Secretary of its managing committee shall handover to the officer authorised by the Director of

Education in this behalf all the records, accounts and the management and possession of properties of the institution.

15. अंतरण के लिए पूर्वानुमोदन.— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त संस्था की किसी भी स्थावर सम्पत्ति में के किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का विक्रय, बन्धक, प्रभार के रूप में या अन्यथा किया जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा:

परन्तु जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

(3) यदि किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव धारा 12 के अधीन विवरण देने में व्यतिक्रम करता है या ऐसा विवरण देता है जिसकी कोई तात्त्विक विशिष्टि मिथ्या या गलत है या उप-धारा (1) के उल्लंघन में कार्य करता है तो मंजूरी प्राधिकारी कारण बताने का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसी संस्था की सहायता को रोक सकेगा या बन्द या निलम्बित कर सकेगा।

(4) सहायता प्राप्त संस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पत्तियों का प्रबन्ध और कब्जा शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा।

CHAPTER-VI

अध्याय-6

Conditions of Service and Tribunal

सेवा की शर्तों और अधिकरण

16. Power of the State Government to regulate the terms and conditions of employment - (1) The State Government may regulate the recruitment and conditions of service, including conditions relating to qualifications, pay, gratuity, insurance, age of retirement, entitlement of leave, conduct and discipline, of persons appointed as employees of aided institutions in the State.

Provided that the rights and benefits accruing to an employee of an existing institution under the grant-in-aid rules in force at the commencement of this Act shall not be varied to the disadvantage of such employee:

Provided further that every such employee shall be entitled to opt for such terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Act :

Provided also that, irrespective of the age of retirement prescribed, action may be taken for compulsory retirement of such an employee after completion of 25 years of service or on attainment of the age of 50 years whichever is earlier, in accordance with the procedure as may be prescribed.

(2) Every recognised institution shall constitute a provident fund for the benefit of its employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed and contribute to such fund and pay interest on the deposited amount at such rate as may be prescribed from time to time.

16. राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तों को विनियमित करने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं वेतन, उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी के हक, आचरण और अनुशासन से सम्बन्धित शर्तों के सहित, भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सहायता-अनुदान नियमों के अधीन किसी विद्यमान संस्था के किसी कर्मचारी को प्रोद्भूत होने वाले अधिकारों और फायदों को ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों के लिए विकल्प देने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे:

परन्तु यह भी कि विहित सेवानिवृत्ति की आयु पर ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, ऐसे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाये, कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय-समय पर विहित की जाये।

17. Recruitment of employees - Recruitment of employees in a recognised institution shall be made either after open advertisement in

a local daily newspaper or from amongst the candidates sponsored by the employment exchange in the manner as may be prescribed.

17. कर्मचारियों की भर्ती.— किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालय द्वारा ऐसी रीति से, जैसी की विहित की जाय, भेजे गये अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

18. Removal, dismissal or reduction in rank of employees - Subject to any rules that may be made in this behalf, no employee of a recognised institution shall be removed, dismissed or reduced in rank unless he has been given by the management a reasonable opportunity of being heard against the action proposed to be taken :

Provided that no final order in this regard shall be passed unless prior approval of the Director of Education or an officer authorised by him in this behalf has been obtained:

Provided further that this section shall not apply,-

- (i) to a person who is dismissed or removed on the ground of conduct which led to his conviction on a criminal charge, or
- (ii) where it is not practicable or expedient to give that employee an opportunity of showing cause, the consent of Director of Education has been obtained in writing before the action is taken, or
- (iii) Where the managing committee is of unanimous opinion that the services of an employee can not be continued without prejudice to the interest of the institution, the services of such employee are terminated after giving him six months notice or salary in lieu thereof and the consent of the Director of Education is obtained in writing.

18. कर्मचारियों का हटाया जाना, पदच्युत या पदावनत किया जाना.— ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त बनाये जाएं, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी को जब तक हटाया, पदच्युत किया या पदावनत किया नहीं जायेगा जब तक कि उसे किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,-

- (i) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो किसी आपराधिक आरोप में उसकी दोष-सिद्धि का कारण बना हो, या
- (ii) जहां उस कर्मचारी को कारण बताने का अवसर देना साध्य या समीचीन नहीं हो वहां कार्रवाई करने के पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो, या
- (iii) जहां प्रबन्ध समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाएँ संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती वहां ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ छह मास का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के पश्चात् समाप्त कर दी गई हों और शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो।

19. Appeal to the Tribunal - (1) If a managing committee is aggrieved from the order of refusal made by the Director of Education under section 18, it may prefer an appeal to the Tribunal constituted under section 22 within ninety days of the date of receipt of such order.

(2) An employee aggrieved from an order of the managing committee made under section 18, may prefer an appeal to the said Tribunal within ninety days of the date of receipt of such order.

19. अधिकरण को अपील.— (1) यदि प्रबन्ध समिति, धारा 18 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इंकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन के भीतर-भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) धारा 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर-भीतर उक्त अधिकरण को अपील कर सकेगा।

20. Contracts by employees - A contract between a recognised institution and an employee, whether made before or after the commencement of this Act, shall, to the extent that it takes away any right conferred on such person by or under this Act, be null and void.

20. कर्मचारियों द्वारा संविदाएं.— किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई संविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या इसके पश्चात् उस सीमा तक जिस तक वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनती है, अकृत और शून्य होगी।

21. Application to the Tribunal - (1) Where there is any dispute between the management of a recognised institution and any of its employee with respect to the conditions of service, the management or the employee may make an application in the prescribed manner to the Tribunal and the decision of the Tribunal thereon shall be final.

(2) Any dispute of the nature referred to in sub-section (1) and any appeal of the nature referred to in section 19, pending before the State Government or any officer of the State Government immediately before the commencement of this Act, shall, as soon as may be after such commencement, be transferred to the Tribunal for its decision.

21. अधिकरण को आवेदन.— (1) जहाँ किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और उसके किसी कर्मचारी के बीच में सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो वहाँ प्रबन्ध या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई ऐसा विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार की कोई ऐसी अपील, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अधिकरण को उसके निश्चय के लिए अन्तरित कर दी जायेगी।

22. Constitution of the Tribunal - (1) There shall be constituted by the State Government, by notification, one or more Tribunals for the purposes of this Act.

(2) The Tribunal shall have jurisdiction over the whole of the State or such area as may be specified in the notification.

(3) The State Government shall appoint a Judicial Officer of the rank of a District Judge to constitute the Tribunal.

22. अधिकरण का गठन.— (1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया जायेगा।

(2) अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य या ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैंक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।

[राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत मामलों को सुनने व उनका निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का गठन करती है। उक्त अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगी तथा अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

राज्य सरकार अधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश, स्तर का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।]

23. Functions of the Tribunal - The Tribunal shall entertain, hear and decide appeals preferred under section 19 and the disputes referred to in section 21.

23. अधिकरण के कृत्य.— अधिकरण धारा 19 के अधीन की गयी अपीलें और धारा 21 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, उनकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा।

24. Procedure in the Tribunal - The Tribunal shall follow such procedures as the State Government may prescribe.

24. अधिकरण की प्रक्रिया.— अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार विहित करे।

25. Powers of the Tribunal - (1) The Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a civil suit with respect to the following matters, namely:-

- enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- compelling the production of documents and material objects;
- issuing commission for the examination of witnesses; and
- such other matters as may be prescribed.

(2) Every proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

25. अधिकरण की शक्तियाँ.— (1) अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियाँ होंगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-

- किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करना;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जाएं।

(2) अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थात्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

26. Decision of the Tribunal to be final - The decision of the Tribunal shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any Civil Court with respect to matters decided by it.

26. अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना.— अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चित मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

27. Bar of Civil Courts - No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with by the Tribunal.

27. सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन.— किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा तय या विनिश्चित किया जाना या उस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

[27.A-Execution of orders of Tribunal.— The orders of the tribunal deciding appeals preferred under section 19 and disputes referred to in section 21 shall be deemed to be the decree of the lowest civil court having territorial jurisdiction over the local area in which the respondent/s against whom the order has been made, ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and shall be executed as such by such civil court.]

[27.क-अधिकरण के आदेशों का निष्पादन.— धारा 19 के अधीन की गयी अपीलों और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने वाला अधिकरण का आदेश उस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।

28. Code of conduct for employees - Every employee of a recognised institution shall be governed by the code of conduct as may be prescribed and on the violation by him of any provision of such code of conduct, the employee shall be liable to a disciplinary action.

1. Inserted by Rajasthan Act No. 10 of 2003 (w.e.f. 8.4.2003)

1. 2003 का अधिनियम सं. 10 द्वारा अन्तःस्थापित (8.4.2003 से प्रभावी), शुद्धि पत्र सं.प. 2(7) विधि/2/2001 दिनांक 21.4.2003, द्वारा शुद्ध किया गया। राज. राज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 22.4.2003 में प्रकाशित।

28. कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता.— किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता से शासित होगा जो कि विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी संहिता के किसी भी उपबन्ध का अतिक्रमण किये जाने पर ऐसा कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

29. Pay and allowances of employees - (1) The scales of pay and allowances except compensatory allowances with respect to all the employees of an aided institution shall not be less than those prescribed for the staff belonging to similar categories in Government institutions.

(2) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of an employee of a recognised institution, for any period after the commencement of this Act, shall be paid to him by the management before the expiry of the fifteenth day or such earlier day, as the State Government may, by general or special order appoint, of the month next following the month in respect of which or part of which it is payable :

Provided that if at any time the State Government deems it fit, it may prescribe a different procedure for payment of salary and allowances.

(3) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by the rules made under this Act or by any other law for the time being in force.

29. कर्मचारियों का वेतन और भत्ते.— (1) किसी सहायता प्राप्त संस्था के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान और भत्ते, प्रतिकरात्मक भत्तों को छोड़कर, सरकारी संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गों से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नहीं होंगे।

(2) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी भी कालावधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, ठीक अगले मास के पन्द्रहवें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन को, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्त के पूर्व प्रबन्ध द्वारा उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भत्तों के संदाय के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

(3) वेतन, उन कटौतियों को छोड़कर, जो कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, किसी भी भाँति की कटौतियाँ किये बिना संदत्त किया जायेगा।

30. Inspection for payment of salaries - The District Education Officer or any other officer of the Education Department not below the rank of the said officer may, at any time, for the purposes of this Act, inspect or cause to be inspected any recognised institution or call for such information or records (including registers, books of accounts, vouchers, etc.) from its management with regard to the payment of salaries to employees or give to such management any direction for proper management of financial matters (including prohibition of any wasteful expenditure), as he thinks fit, so as to enable the management to pay salaries to the employees regularly and the management shall comply with such directions.

30. वेतन के संदाय का निरीक्षण.— जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उक्त अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख (रजिस्ट्रों, लेखा पुस्तकों, वाउचरों आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रूप से संदाय करने में प्रबन्ध को समर्थ बनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिनमें किसी अपव्यय का प्रतिषेध सम्मिलित है) उचित प्रबन्ध के लिए ऐसे प्रबन्ध को कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और प्रबन्ध ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

31. Payment of salaries - (1) The management of an aided institution shall disburse the salaries of its employees by account payee cheques :

Provided that the Director of Education may, in special circumstances, direct, by general or special order, to disburse the salaries of employees in any other manner as he thinks fit.

(2) In case the management of an aided institution fails to pay the salary of its employees as referred to in sub-section (1) or in section 29, the Director of Education or any officer authorised by him may deduct such salary from the amount payable as the next grant-in-aid, or if necessary, from the amount of any subsequent grant-in-aid and pay to the staff such salary on behalf of the management. Such payment shall be deemed to be a payment of money to the management of the institution itself.

31. वेतन का संदाय.— (1) सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का संवितरण एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा करेगा:

परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का संवितरण ऐसी किसी भी अन्य रीति से, जो वह उपयुक्त समझे, करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।

(2) किसी सहायता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों के वेतन का संदाय उप-धारा (1) में या धारा 29 में निर्दिष्ट रूप से करने में प्रबन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम में से या, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पश्चातवर्ती सहायता अनुदान में से, ऐसे वेतन की कटौती कर सकेगा और प्रबन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन का संदाय कर सकेगा। ऐसा संदाय उस संस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन संदाय समझा जायेगा।

32. Recoveries of amounts due from aided institution - (1) where, at the commencement of this Act or thereafter, pursuant to any agreement, scheme or other arrangement, any salary or other dues are payable by the management of an aided institution to its employee according to the scale fixed by such agreement, scheme or arrangement, the District Education Officer or the Competent Authority may, by order in writing, direct the secretary of the managing committee to deposit, with him the amount so payable.

(2) Before making an order under sub-section (1), the District Education Officer shall conduct an enquiry as to the amount payable to the employee in such manner as may be prescribed.

(3) An appeal may be preferred against the order made under sub-section (1) to such officer as may be empowered by the Director of Education in this behalf within such time and in such manner as may be prescribed.

(4) Any money due from the management under the orders of the District Education Officer, or where an appeal was preferred, under the orders of the officer making an order in appeal shall be recoverable as an arrear of land revenue under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956. Such money may also be recovered by setting it off against any sum due to the management from the State Government. Any amount deposited or recovered under this sub-section shall be paid to the employee concerned.

(5) Any amount due at the commencement of this Act or thereafter, to the State Government pertaining to any aid given or grant paid by the State Government may be recovered from the management as an arrear of land revenue under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

32. सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की वसूलियाँ.— (1) जहाँ, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, स्कीम या ठहराव द्वारा नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई वेतन या अन्य देय संदेय हों वहाँ, जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रबन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार संदेय रकम अपने पास जमा कराने का निदेश लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में ऐसी रीति से जांच करेगा जो विहित की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जाये।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अधीन या जहाँ अपील की गयी हो वहाँ, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली होगी। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा करके भी वसूल किया जा सकेगा। इस उप-धारा के अधीन जमा करायी या वसूल की गयी कोई भी रकम संबंधित कर्मचारी को संदत्त की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दी गयी किसी सहायता या संदत्त अनुदान को राज्य सरकार को देय कोई भी रकम प्रबन्ध से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली होगी।

CHAPTER-VII

अध्याय-7

Offence and Penalties

अपराध और शास्तियाँ

33. Penalty for transfer or closure of a recognised institution without notice and without satisfying the competent authority - Any person who contravenes the provisions of section 13 or section 14 or, where any such contravention is committed by an association, every

member of the managing committee of such association shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees:

Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section.

33. नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या बन्द किये जाने के कारण शास्ति.— कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करता है या, जहाँ कोई ऐसा उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहाँ, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

34. Penalty for not discharging the duties of secretary - A person who contravenes the provisions of sub-section (3) of section 9 or section 12 or, where any such contravention is committed by any association, every member of managing committee shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees :

Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section.

34. सचिव के कर्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति.— कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या, जहाँ ऐसा कोई उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहाँ, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

35. Cognizance on complaint - No court shall take cognizance of an offence specified in this Chapter except on the written complaint of the Director of Education or an officer authorised by him in this behalf.

35. **परिवाद पर संज्ञान.**— कोई भी न्यायालय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निर्मित सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

36. **Government's power of review** - Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, on its own motion or otherwise, after calling for the records of the case, review the order made by an authority under section 6 or under sub-section (6) of section 7, and

- confirm, modify or set aside the order,
- remit the case to the authority which has made the order directing such further action as it considers proper, or
- pass such orders as it deems fit :

Provided that no final order under this section shall be made unless the aggrieved party is given a reasonable opportunity of showing cause.

36. **सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति.**— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले का अभिलेख मंगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और

- आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी,
- मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो वह उचित समझे, या
- ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार को कारण बताने का कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाये।

CHAPTER-VIII

अध्याय-8

Miscellaneous

प्रकीर्ण

37. **Removal of difficulties** - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Official Gazette, give such

directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty :

Provided that the powers conferred under this section shall not be exercised after a lapse of three years from the date of enforcement of this Act.

37. **कठिनाइयों का निराकरण.**— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राज-पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

38. **Officers to be public Servants** - Every officer and authority duly authorised by the State Government to perform any function or discharge any duty imposed on him or it under this Act or the rules or order made thereunder, shall be deemed to be a public Servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

38. **अधिकारियों का लोक सेवक होना.**— इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या किये गये आदेश के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिये सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

39. **Protection for acts done under the Act** - No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or officer or servant of the State Government for any act done or purporting to be done, or for any damage caused by any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.

39. **अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का परित्राण.**— इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

40. Overriding effect of the Act - The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any instrument having effect by virtue of any law.

40. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना. — इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

41. Courts not to grant injunction - Notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure, 1908 or in any other law for the time being in force, no court shall grant any temporary injunction or make any interim order restraining any proceedings which are being or about to be taken under this Act.

41. न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना. — सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थायी आदेश या कोई भी अन्तरिम आदेश नहीं देगा।

42. Delegation of powers - It shall be lawful for the State Government, by notification in the Official Gazette, to delegate to any authority or officer of the Education Department all or any of the powers vested in it by this Act and to withdraw any power so delegated.

42. शक्तियों का प्रत्यायोजन. — शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सभी या कोई भी शक्तियां राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति वापस लेना राज्य सरकार के लिये विधिपूर्ण होगा।

43. Power to make rules - (1) The State Government may make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for -

- (a) the terms and conditions for the grant of recognition to non-Government educational institutions;
- (b) the maintenance of recognised institutions;
- (c) the giving of grants-in-aid to recognised institutions;
- (d) the levy, regulation and collection of fees in recognised institutions;

- (e) regulating rates of fees in recognised institutions;
- (f) regulating admissions to recognised institutions which are receiving aid out of State funds by making special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (g) the manner in which accounts, registers or records shall be maintained in aided institutions and the authority responsible for such maintenance;
- (h) the submission of returns, statements, reports and accounts by Secretaries of the managing committees of recognised institutions;
- (i) the inspection of recognised institutions and the officer by whom inspection shall be done;
- (j) the mode of keeping and auditing of accounts of recognised institutions;
- (k) the standards of education and courses of study; and
- (l) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

43. नियम बनाने की शक्ति. — (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा:-

- (क) गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निबन्धन और शर्तें;
- (ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण;
- (ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देना;
- (घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस का उद्ग्रहण, विनियमन और संग्रहण;
- (ङ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस की दरों का विनियमन;
- (च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है;
- (छ) यह रीति, जिससे सहायता प्राप्त संस्थाओं में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखे जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;
- (ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सचिवों के द्वारा विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों और लेखों का प्रस्तुतीकरण;
- (झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और वह अधिकारी, जिसके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा;
- (ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग;
- (ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम; और
- (ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अधिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपान्तर करे अथवा ऐसा संकल्प करे कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात् ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होंगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण तद्दीन पहले से की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।